तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो ह...
15.7.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार फोरमल पक्षकार होने से जवाब प्रा-पत्र पेश नही करने से जवाब प्रा-पत्र पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली बहस प्रा-पत्र मे दिनांक 19-8-25 को पेश हो।	
19-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 28-8-25 को पेश हो।	
28-8-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की पूर्व मे बहस सुनी गई प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकरण मे वर्तमान जमाबन्दी मंगवाकर आदेश करना उचित समझते है। प्रकरण मे वर्तमान जमाबन्दी चाही जावे। पत्रावली वास्ते आदेश / जमाबन्दी मे दिनांक 15-9-25 को पेश हो।	
15-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे कार्यव्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 23-9-25 को पेश हो।	
23-9-25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस पूर्व मे सुनी गई थी। प्रार्थी का प्रा-पत्र अ-धा-144 एवं 151 CPC का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

जमा ... नम्बर

Presented by Adv. ...

सेवामें

1. माँगीलाल ...
चित्तौड़ग...

2. रामकन्...
चित्तौ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 13/2025

1. मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
2. रामकन्याबाई पत्नि शम्भूलाल धाकड निवासी चेची तहसील बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पिता गोपी धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
2. ठमकुबाई बेवा कजोड धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
3. शंकरलाल पिता कजोड धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
4. मांगीलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
5. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहव बेगूँ

उपस्थित :– श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनाक :–23.09.2025

मूल वाद संख्या 64/2004
पत्रावली विड्रो 06.09.2023

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 जा.दी

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा नया गांव पटवार हलका चेची की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 370/2 वादीगण एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते में अंकित थी। वादीगण ठमकुवाई बेवा कजोड जाति धाकड व शंकरलाल पिता कजोड जाति धाकड निवासी चेची तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान आपके समक्ष एक वाद पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 64/2004 थे। उक्त प्रकरण में पतिवादी संख्या 3 के खिलाफ दिनांक 06.10.2004 को एक तरफा आदेश किया गया व दिनांक 12.04.2006 को एकतरफा में निर्णय प्रदान करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दिनांक 04.05.2006 को फाईनल डिक्री प्रदान की गई थी। इस डिक्री की पालना भी राजस्व रेकार्ड में कर दी गई एवं मौजा नया गांव पटवार हल्का चेची कि कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 370/2 का विभाजन किया जाकर राजस्व नक्शा भी तरमीम किया गया, जिससे मौजा नया गांव पटवार हल्का चेची कि कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 370/2 के टुकडे किए जाकर नये नम्बर 488/370 एवं 487/370 दर्ज कर दिये।

यह कि प्रतिवादी संख्या 3 भंवरलाल के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय श्रीमान द्वारा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र पुनः दर्ज किया एवं 12.04.2006 को एकतरफा में किये निर्णय एवं दिनांक 04.05.2006 को फाईनल निर्णय व को निरस्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 3भंवरलाल को जवावदावा प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण कि सुनवाई का आदेश प्रदान किया गया।

यह कि आदेश 09 नियम 13 के प्रार्थना पत्र की निगरानी वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व न्यायालय अजमेंर में प्रस्तुत कि जिससे उक्त पत्रावली जो सहायक कलेक्टर महोदय बेगूँ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 64/04 को दिनांक 13.10.2009 को मननीय राजस्व मण्डल अजमेंर ने तलव करली । उक्त निगरानी में माननीय राजस्व न्यायालय अजमेंर ने दिनांक 28.07.2022 को वादी/अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुए निम्न आदेश पारित किया " निगराकार/(प्रार्थी) को बार बार रूक रूक कर मध्यान्ह 2.00 बजे तक आवाजे लगवाई। बावजूद कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है। कि वकील प्रार्थी का स्वर्गवास हो चुका है। उसके पश्चात प्रार्थी को कार्यालय से सूचना नोटिस जारी किये जा चुके है। किन्तु आज दिनांक तक कोई उपस्थित नही हुआ। अतः यह पत्रावली इसी स्तर पर वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती हैं "

यह कि वादीगण की निगरानी खारीज होने से नये सिरे से पुनः प्रकरण दिनांक 06.09.2023 को न्यायालय श्रीमान आप के न्यायालय में दर्ज किया गया एवं प्रतिवादी सं0 3 के जवाब पत्रावली नियत की गई। वादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम वादीगण

ा में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः दावा विड्रो किया जावे अतः (प्रार्थीया) वादीया का प्रार्थना पत्र ुार किया गया वाद पत्र विड्रो किये जाने की स्वीकृति से फसल किया गया व नम्बर से कम किया ा। आदेश की नकल संलग्न है।

यह कि उक्त वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब में था। वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र को विड्रो किये जाने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सम्पूर्ण ही निरस्त हो चुका है। वादपत्र में दिनांक 12.04.2006 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 04.05.2006 को प्रदान की गई फाईनल डिक्री की पालना राजस्व रिकोर्ड में कर दी गई थी इसलिए वादपत्र प्रस्तुत किए जाने की पूर्व स्थिति को वापिस रेकार्ड पर लाया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 3 भंवरलाल की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान की ओरसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान को सुनवाई में हिस्सा लिए जाने के लिए विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण भूमिधारी जी द्वारा खाता परिवर्तन कर प्राथमिक डिक्री एवं को फाईनल डिक्री की पालना कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 12.04.2006 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 04.05.2006 को फाईनल डिक्री के आधार पर मौजा नयागॉव की वाद वर्णित आराजीयात के आराजी नम्बर 370/2 में जो परिवर्तन कर नये आराजी नम्बर 488/370 एवं 487/370 को पूर्व स्थिति मूल आराजी नम्बर 370/2 के अनुसार दर्ज किये जाने के लिए आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किय गया। प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए है, जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0धा0 144 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहीता पर अधिवाक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ही निवेदन किया कि मूल वाद में प्रतिवादी सं0 3 भंवरलाल दिनांक 06.10.2004 को एक्स पार्टी किया गया तथा मूलदावा दिनांक 12.04.2006 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 04.05.2006 को अंतिम डिक्री किया गया तथा अंतिम डिक्री पालना भी राजस्व रेकार्ड में करदी गई। यह कि न्यायालय श्रीमान मे एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. का न्यायालय श्रीमान आप में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 6/2008 यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 3 भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत किया जो न्यायालय आप द्वारा दिनांक 06.08.2009 को स्वीकार किया जाकर मूल दावा संख्या 64/2004 व अनवान ठमकुबाई बनाम गोपी वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में न्यायालय आप द्वारा किये गए प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2005 व अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 4.05.2006 को निरस्त किये जाने का आदेश देते हुए प्रतिवादी भंवरलाल पिता मोड़ा जी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाकर निस्तारण किये जाने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में की गई जो कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 28.07.2022 को निगरानी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। इस प्रकार इसी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ओर्डर 9 रूल 13 में जो आदेश दिनांक 06.08.2009 को दिया गया था वह यथावत रहा है। जिससे न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री का निर्णय एवं अंतिम डिक्री की राजस्व रिकोर्ड में पालना जो की गई है वह अब नहीं मानी जा सकती हैं।

जहा तक मूल दावा 64/2004 पर यह कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है तो उक्त वाद पत्र वादीगण ठमकुबाई व शंकरलाल द्वारा अपने हस्ताक्षर करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि मूल दावा पत्रावली में हम वादीगण अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है वाद को विड्रा फरमाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 06.09.2023 को मूल वाद पत्र को विड्रा कर नम्बर से कम कर फैसलशुमार कर दिया गया है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 144 व्यवहार प्रकिया संहिता का स्वीकार फरमाया जाकर मॉजा नयागॉव की वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 370/2 में जो परिवर्तन कर नये आराजी नम्बर 488/370 एवं 487/370 को पूर्व स्थिति मूल आराजी नम्बर 370/2 के अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

हमने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा सुनी तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं मूल दावा संख्या 64/2004 व अनवान ठमकुबाई बनाम गापी वगै वाद अ0धा0 53 राज. काश्त.अधि. का अवलोकन किया। दावा संख्या 64/2004 न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2005 को दावा

ं डिक्री किया गया, तथा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राथमिक डिक्री निर्णय को ं 04.05.2006 को अंतिम डिक्री निर्णय लिखा जाकर पत्रावली को फैसल किया गया, लेकिन प्रकरण में ,वादी सं. 3 भंवरलाल द्वारा इसी न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.संहिता ा प्रस्तुत किया जाने एवं न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 को दिनांक 6.08.2019 को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश दिनंका 12.04.2005 व अंतिम डिक्री आदेश दिनांक 4.05.2006 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में निगरानी भी प्रस्तुत की गई लेकिन उक त निगरानी भी राजस्व मण्डल अजमेंर दिनांक 28.07.2022 को अदम हाजरी में खारिज की गई है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.संहिता पर दिया गया आदेश दिंनांक 6.08.2019 का ही अंतिम आदेश रहा है।

इस न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत दिये गये आदेश में प्रतिवादी भंवरलाल पिता मोडा को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई की जाकर निस्तारण का आदेश दिया गया था , लेकिन इस वाद पत्र. को वादीगण द्वारा इस वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वाद पत्र को विड्रा किया जाकर पत्रावली फैसलशुमार की गई है।

जैसा कि प्रार्थना पत्र में उल्लेख है कि प्रतिवादी संख्या 3 भंवरलाल के पुत्र मांगीलाल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 144 व 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया है, जो कि केवल मौजा नयागांव प.ह. चेची के कृषि आराजी संख्या 370/2 के टुकडे किये जाकर नये नम्बर 488/370 व 487/370 के पुनः मूल आराजी नम्बर 370/2 के अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया है, जहॉ तक आदेश 9 नियम 13 जा.दी. की पालना का प्रश्न है उसमें तो वह सभी कृषि आराजी नम्बरान जिनका विभाजन किया गया है को पुराने नम्बरान में अकित किये जाकर पुनः सुनवाई कर निर्णय किये जाने का आदेश हुआ है, जबकि प्रार्थी केवल आराजी संख्या 370/2 के लिए ही यह प्रार्थना पत्र क्यो लेकर आये है, यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्राथमिक डिक्री से अंतिम डिक्री का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, जिसमें प्रतिवादी सं. 3 भंवरलाल पिता मोडा धाकड के खाते में जो विभाजन के पश्चात कृषि आराजी खाते में दर्ज किये जाने की डिक्री दी गई है उसमें कृषि आराजी संख्या 1082, 1083, 1084 कीता–3 कुल रकबा 0.186 हैक्टर भूमि का आदेश है जबकि आराजी संख्या 370/2/2 रकबा 0.621 हैक्टर भूमि के लिए गोपी पिता सुखा धाकड प्रति. 1 के लिए तथा कृषि आराजी संख्या 370/2/1 को शंकरलाल पिता कजोड ठमकुबाई बेवा कजोड वादीगण के खाते की आराजी में दर्ज किया गया हैं। प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र भंवरलाल धाकड वाद वर्णित कृषि आराजी मौजा नयागांव की आराजी संख्या 370/2 के लिए ही यह प्रार्थना पत्र क्यो लेकर न्यायालय में आए है, जबकि अंतिम डिक्री में उनके पिता भंवरलाल पिता मोडा जी धाकड के खाते की कृषि भूमि तो विभाजन की अंतिम डिक्री में आराजी संख्या 1082, 1083, 1084 कीता–3 कुल रकबा 0.186 हैक्टर को खाते किए जाने का आदेश है।

प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 370/2 जिसके टुकडे होकर आराजी संख्या 488/370 व 487/370 के लिए ही यह प्रार्थना पत्र क्यो प्रस्तुत किया गया है, यह तथ्य सपष्ट नहीं किये है, यदि वर्तमान में यह कृषि भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है तो उनके खाते मे यह भूमि किस प्रकार दर्ज हुई है यह तथ्य भी इस न्यायालय में प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जहॉ तक इस न्यायलाय द्वारा जारी आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 की पालना में वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किया जाने का है तो वादी द्वारा यह वाद पत्र ही विड्रा करा लिया गया है।

प्रार्थी केवल मौजा नयागांव प.ह. चेची के कृषि आराजी संख्या 370/2 के नये आराजी संख्या 488/370 व 487/370 के लिए ही प्रार्थना पत्र क्यो लाये है यह स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनांक 23.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं